दिनांक २४ अक्टूबर, २०१७ को आयोजित विद्वत्परिषद् की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की विद्वत्परिषद् की आठवीं बैठक दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में वाचस्पति सभागार में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय	अध्यक्ष
2. प्रो. मनोज कुमार मिश्र, रा.सं.सं	सदस्य
3. प्रो. हरिहर त्रिवेदी	सदस्य
4. प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी	सदस्य
5. प्रो. भागीरथि नन्द	सदस्य
6. प्रो. नागेन्द्र झा	सदस्य
7. प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	सदस्य
8. प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी	सदस्य
9. प्रो. कमला भारद्वाज	सदस्या
10. प्रो. सुदीप कुमार जैन	सदस्य
11. प्रो. शुकदेव भोई	सदस्य
12. प्रो. हरेराम त्रिपाठी	सदस्य
13. प्रो. ज़यक़ान्त सिंह शर्मा	सदस्य
14. प्रो. बिहारी लाल शर्मा	सदस्य
15. प्रो. केदार प्रसाद परोहा	सदस्य
16. प्रो. विनोद कुमार शर्मा	सदस्य
17. प्रो. रचना वर्मा मोहन	सदस्या
18. प्रो. रजनी जोशी चौधरी	सदस्या
19. प्रो. जय कुमार एन. उपाध्ये	सदस्य
20. प्रो. के. भारत भूषण	सदस्य
21. प्रो. संगीता खन्ना	सदस्या
22. प्रो. नीलम ठगेला	सदस्या
23. डॉ. यशवीर सिंह	सदस्य
24. डॉ. सुधांशुभूषण पण्डा	सदस्य
25. डॉ. बृन्दाबन दाश	सदस्य
26. डॉ. के. अनंता	सदस्य
27. डॉ. मीनाक्षी मिश्र	सदस्या
28. डॉ. विमलेश शर्मा	सदस्या
29. डॉ. कान्ता	विशेष आमंत्रित सदस्या
30. डॉ. रेनू बतरा	सचिव

RKP

RB

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हुए :-

1. प्रो. भास्कर मिश्र
2. प्रो. रशिम मिश्र
3. प्रो. इच्छाराम द्विवेदी
4. प्रो. वीर सागर जैन
5. प्रो. राम राज उपाध्याय

प्रो. हरिहर त्रिवेदी के मंगलाचरण के साथ ही बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। डॉ. रेनू बतरा, कुलसचिव महोदया ने विद्वत्परिषद् की आठवीं बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची के प्रत्येक मद को प्रस्तुत किया। गहन विचार-विमर्श के अनन्तर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

संकल्प संख्या ८.१ विद्वत्परिषद् की दिनांक ३ अप्रैल, २०१७ को सम्पन्न हुई सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

विद्वत्परिषद् की दिनांक 3 अप्रैल, 2017 को सम्पन्न हुई सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

संकल्प संख्या ८.२ विद्वत्परिषद की दिनांक ३ अप्रैल, २०१७ को सम्पन्न हुई सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन।

विद्वत्परिषद की दिनांक 3.4.2017 को सम्पन्न हुई सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के विषय में विद्वत्परिषद् के सचिव द्वारा प्रस्तुत कृत कार्यवाही की पुष्टि की गयी। विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि यदि किसी विभाग द्वारा अभी तक अपने विभाग से संबंधित कार्यवृत्त पर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण रूप से सम्पन्न नहीं की गई है वे शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही सम्पन्न कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट शैक्षणिक विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संकल्प संख्या ८.३ शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ में विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों की सूची एवं पाठ्यक्रम के संचालन हेतु निर्धारित विभिन्न विभागों की समय-सारणी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों की सूची एवं पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त समय-सारणी की पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ८.४ विद्यावारिधि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सत्रीय पाठ्यक्रम का आयोजन।

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संयुक्त विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया गया था। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सत्रीय पाठ्यक्रम का शुभारम्भ दिनांक 17/7/2017 से किया जा चुका है। सत्रीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही शोध पंजीकरण को नियमित किया जाएगा। सत्रीय पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों को विश्वविद्यालय

RB

अनुदान आयोग एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2016 में प्रदत्त सभी प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन में सत्रीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्रों को **सत्रीय पाठ्यक्रम** परीक्षा में उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्थाई पंजीकरण करने हेतु नियमानुसार शोध मण्डल की **बैठक आयोजित** की जाए।

संकल्प संख्या ८.५ समय-समय पर आयोजित संकाय प्रमुखों एवं अन्य शैक्षणिक समितियों की बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि ।

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालन हेतु संकाय-प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों की समय-समय पर सम्पन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों पर विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न बैठकों में संस्तुत एवं अवशिष्ट शैक्षणिक क्रियाकलापों से संबंधित नीतिगत सुझावों को क्रियान्वित किया जाए और वित्तीय तथा प्रशासकीय संस्तुतियां वित्त समिति और प्रबंध मण्डल को विचारार्थ एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रेषित की जाएं।

१) विषयः- वर्चुअल कक्षाओं के कैलेंडर के निर्धारण के लिए दिनांक २४/४/२०१७ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 3/4/2017 को आयोजित विद्वत्परिषद् की बैठक में संकल्प संख्या 7.3 (2) के अनुसार लिए गए निर्णय के अनुपालन में आचार्य एवं शास्त्री पाठ्यक्रम के आधार पर ई-पाठ्यांश (e-content) तैयार करने हेतु वर्चुअल (आभासी) कक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के आधार पर विडियो लेक्चर की रिकार्डिंग, सम्पादन और व्यवस्थापन के संबंध में संकाय प्रमुखों, विभागाध्यक्षों एवं अधिकारियों की गठित समिति की बैठक दिनांक 24.04.2017 को अपराह्न 03.00 बजे समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों को आभासी कक्षाओं के संबंध में विद्वत्परिषद् द्वारा पारित निर्णयों के संबंध में अवगत कराया गया।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के आधार पर विडियो लेक्चर की रिकार्डिंग, सम्पादन और व्यवस्थापन के संबंध में निम्नलिखित संस्तुतिया की गईः-

1. प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत विभागों के अध्यापकों द्वारा उन्हें मीटिंग में प्रदत्त प्रपत्र पर उनके द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यान के विषय, कक्षा, ग्रन्थ एवं शीर्षक का विवरण एक सप्ताह के अन्दर संकायप्रमुख के कार्यालय में प्रस्तुत कराया जाए। इसकी प्राप्ति सभी संकायप्रमख सुनिश्चित करेंगे। तथा उनसे अनुरोध है कि वे आगामी बैठक में इनका विवरण / प्रपत्र लेकर उपस्थित हों। ताकि इनके आधार पर वर्ष भर का कैलेण्डर बनाया जा सके।
2. प्रत्येक अध्यापक वर्चुअल-कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय के अनुसार शीर्षक / उपशीर्षक व व्याख्यान विषय का पावर पॉइंट प्रेजन्टेशन तैयार करें एतदर्थ संकायप्रमुख उन्हें आवश्यक परामर्श एवं निर्देश देंगे।
3. व्याख्यातागण इस कक्षा के दौरान उपस्थित छात्रों की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची भी तैयार करायें व तदनुसार व्याख्यान को निर्मित करें।

PB

Ruf

4. वर्चुअल-कक्षाओं में कम से कम दो कैमरों की व्यवस्था की जाए। ताकि वक्ता एवं श्रोताओं की एक साथ रिकार्डिंग की जा सके और रिकार्डिंग व्याख्यान जीवन्तकक्षा के रूप में प्रतीत हो।
5. वर्चुअल-कक्षा के लिए कक्ष संख्या 309 तृतीय तल से स्थानान्तरित कर द्वितीय तल पर कमरा संख्या 202 में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। उसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया तथा प्रशासन द्वारा सम्बद्ध अधिकारियों को इस विषय में अपेक्षित प्रक्रिया हेतु निर्देश दिये जायें।
6. सभी संकायप्रमुखों द्वारा अपने अपने विभागाध्यक्षों से सम्पर्क कर अपने संकाय से संबंधित इस व्याख्यानों के अन्तर्गत रिकार्ड किये जाने वाले अध्यायों का विवरण, समयसारिणी व अन्य आवश्यक तथ्यों को व्यवस्थित कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
7. इस विषय में आगामी बैठक मई माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी। अतः सभी संकायप्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि वे शैक्षणिक-संकायप्रमुख को निर्धारित अवधि में अपेक्षित सामग्री के संकलन व प्रस्तुतीकरण हेतु आश्वस्त करेंगे।

२) विषयः- दिनांक ३०/५/२०१७ को आयोजित शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में समस्त शैक्षणिक गतिविधियों में प्रगति गुणवत्ता एवं समृद्धि के सम्बन्ध में कुलपति महोदय की अध्यक्षता में समस्त अध्यापकगण एवं अधिकारियों के साथ दिनांक 30/5/2017 को वाचस्पति सभागार में बैठक आयोजित की गई। कुलपति महोदय द्वारा समस्त संकायप्रमुखों से विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(अ) संकाय एवं विभागों के क्रिया-कलापों की समीक्षा :-

1) प्रत्येक माह के अन्तिम-कार्यदिवस को अपराह्न (2.00 से 5.00 बजे तक) में सभी अध्यापक छात्रों की उपस्थिति सम्बन्धी क्रिया-कलाप कर उपस्थिति पत्रक उसी दिन विभागाध्यक्ष के पास जमा करा देंगें। जिन्हें विभागाध्यक्ष अपनी टिप्पणी के साथ संकाय प्रमुख कार्यालय में अगले माह के प्रथम कार्यदिवस में निश्चित रूप से जमा करवा दें तथा सभी संकाय प्रमुख शैक्षणिक विभाग में उपस्थिति रिकार्ड को अधिकतम प्रत्येक माह की दूसरे कार्य-दिवस तक अवश्य प्रेषित करें।

2) प्रत्येक माह के लिये संकाय प्रमुख कार्यालय द्वारा यह अभिलेखबद्ध किया जायेगा कि संकाय स्तर पर व उसके विभागों द्वारा कौन-कौन सी कार्यशालाएँ / संगोष्ठियाँ / व्याख्यानमालाएँ / विशेष व्याख्यान आयोजित किये गये हैं, तथा इस अवधि में विभागस्थ अध्यापकों द्वारा किन पुस्तकों / लेखों आदि का प्रकाशन किया गया और अन्य क्या-क्या गतिविधियाँ सम्पन्न की गयीं। संकाय प्रमुख निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिमाह मासिक शैक्षणिक क्रिया-कलाप सम्बन्धी प्रतिवेदन शैक्षणिक अनुभाग एवं आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को प्रेषित करेंगे।

3) शैक्षणिक सत्र 2016-17 की द्वितीय सत्र की परीक्षा उपरान्त केन्द्रीय मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच सम्बन्धित संकाय प्रमुख द्वारा की जा सकती है।

PB

4)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में शास्त्री, आचार्य तथा विशिष्टाचार्य कक्षा में विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम लागू किया जा चुका है। नियमानुसार संबंधित पाठ्यक्रम को विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार जिसमें इकाई, विषय, अंक, क्रेडिट तथा ग्रन्थों की सूची को पृथक्-पृथक् दर्शाया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में सभी संकाय प्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाए कि वे विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के नियमानुसार अपने विभाग से संबंधित विषय के पाठ्यक्रम की जाँच करें तथा यदि उसमें कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार कर स्पष्ट रूप में लिखित विवरण संलग्न करें, ताकि पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर शीघ्रातिशीघ्र मुद्रण कराया जा सके।

5) 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार निर्मित सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दो क्रेडिट वाले पाठ्यक्रमों के लिए सप्ताह में मात्र दो कक्षायें निर्धारित की जायें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अध्यापक को न्यूनतम 5 घण्टे विश्वविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन एवं शोध का कार्य करना अनिवार्य है।

2. समस्त कक्षाओं के कालांश 60 मिनट के होगें।

3. समस्त विभागाध्यक्ष शास्त्री कक्षा कालाश चक्र में आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि कक्षाओं के कालांश का समावेश करेंगे।

4. प्रत्येक कक्ष के दरवाजे पर नेमप्लेट के नीचे एक ए-4 साईज में स्टील की प्लेट पर सभी अध्यापक अपनी वार्षिक समय-सारिणी को सम्बन्धित छात्रों एवं अधिकारियों की सूचना हेतु चिपकाएँ। जिस कक्षा में छात्र न हो उस कक्षा का समय-सारिणी में उल्लेख न किया जाए।

5. एन.सी.सी. परेड प्रति शुक्रवार को 01:00 बजे से 05:00 बजे तक आयोजित की जायेगी जिससे अध्यापन में बाधा न हो।

कक्षाओं का अध्ययन-अध्यापन का माध्यम

6. समस्त कक्षाओं में अध्ययन-अध्यापन और परीक्षा का माध्यम पूर्णता: संस्कृत भाषा होगी। हिन्दी भाषा में उत्तर पुस्तिका लिखने वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जायेगा।

बैठकों में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समस्त संकाय प्रमुख / अनुभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करें की समय-समय पर आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित विषयों पर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर कुलपति कार्यालय एवं शैक्षणिक विभाग को निर्धारित समय अवधि के दौरान आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

RB RKL

वर्ष 2016-17 (01.4.2016 से 31.03.2017) के वार्षिक प्रतिवेदन के लिए विद्यापीठ की विभिन्न गतिविधियों से सम्बन्धित सामाग्री का संकलन कर मुद्रित किया जाना है।

अत: समस्त संकाय प्रमुखों, विभागाध्यक्षों, अध्यापकों एवं अनुभाग प्रभारियों से अनुरोध है कि वे वर्ष 2016-17 के लिए अपने विभाग / अनुभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं निम्नलिखित विवरण के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र शैक्षणिक विभाग के पास निश्चित रूप में जमा करवा दे ताकि वार्षिक प्रतिवेदन नियम समय के अन्दर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं भारत सरकार को भेजी जा सके।

1. विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला, संगोष्ठी, सेमिनार/सम्मेलन आदि का विस्तृत उल्लेख
2. विद्यापीठीय अध्यापकों की संगोष्ठी, कार्यशाला, पुनश्चर्या, अभिविन्यास, सम्मेलनों, प्रकाशित पुस्तकें / शोध-पत्रिकाएं एवं अन्य अध्ययन सामाग्री, पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसनीय पत्र इत्यादि
3. विभागीय व्याख्यान मालाओं का विस्तृत विवरण
4. विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें / शोध-पत्रिकाएं एवं अन्य अध्ययन सामाग्री, पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसनीय पत्र इत्यादि
5. अन्य विभागीय क्रियाकलापो का विवरण

प्राकृत भाषा का प्रमाणपत्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र २०१७-१८ से विद्यापीठ में पुनः संचालित किए जाने के सम्बन्ध में।

प्राकृत भाषा विषय में छात्रों की संख्या में वृद्धि हेतु यह निर्णय लिया गया कि प्राकृत भाषा प्रमाणपत्रीय एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सत्र 2017-18 से विद्यापीठ में पुन: संचालित किया जाए। यह पाठ्यक्रम अन्य अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाएगा।

हिन्दी राजभाषा के प्रचार एवं समृद्धि के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि :-

1. विद्यापीठ द्वारा समय-समय पर प्रदान किए जाने वाले कार्यालयीय आदेश या सूचना हिन्दी भाषा में ही प्रेषित किए जाएँ ।
2. फाइलों पर अधिक से अधिक हिन्दी में टिप्पणियाँ लिखने का अभ्यास किया जाए ताकि झिझक को खत्म किया जा सके।

३) विषय: पाठ्यक्रम को मुद्रण करवाने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विद्यापीठ में विकल्पाधारित क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत आचार्य, एम.फिल्. के लिये सभी विभागों के अध्ययन मण्डलों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रमों को मुद्रण करवाने से पूर्व पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप देने हेतु गठित सम्पादन समिति की बैठक दिनांक 13.7.2017 को प्रात: 11:30 बजे समिति कक्ष संख्या 3 में आयोजित की गई।

बैठक में उपस्थित सदस्यों के संज्ञान में लाया गया कि दिनांक 19 मई, 2016 को आयोजित विद्वत्परिषद् की पंचम बैठक में आचार्य एवं विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार मॉडल पाठ्यक्रम स्वीकृत किया जा चुका है ।

आचार्य

प्रथम सत्र

पत्र संख्या	विषय	अंक	क्रेडिट
1.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
2.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
3.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
4.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
5.	मूल शास्त्रीय विषय अथवा वैकल्पिक शास्त्रीय विषय	100	4
6.	संगणक विज्ञान	100	4
	योग	600	24

द्वितीय सत्र

पत्र संख्या	विषय	अंक	क्रेडिट
1.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
2.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
3.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
4.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
5.	मूल शास्त्रीय विषय अथवा वैकल्पिक शास्त्रीय विषय	100	4
	योग	500	20

तृतीय सत्र

पत्र संख्या	विषय	अंक	क्रेडिट
1.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
2.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
3.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
4.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
5.	मूल शास्त्रीय विषय अथवा वैकल्पिक शास्त्रीय विषय	100	4
	योग	500	20

चतुर्थ सत्र

पत्र संख्या	विषय	अंक	क्रेडिट
1.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
2.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
3.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4
4.	मूल शास्त्रीय विषय	100	4

RB

5.	मूल शास्त्रीय विषय अथवा वैकल्पिक शास्त्रीय विषय	100	4
6.	संगणक विज्ञान	100	4
	योग	600	24

1. विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार आचार्य कक्षा में पढ़ाये जा रहे समस्त विषयों में प्रत्येक छात्र अपने मूल शास्त्रीय विषय के चार पत्रों के साथ पंचम पत्र मूल शास्त्रीय विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों से सम्बन्धित होगा उस में से किसी एक विषय का अपनी इच्छानुसार चयन करके अध्ययन करेगा ।
2. आचार्य कक्षा के छात्रों के लिये विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार प्रत्येक पाठ्य विषय 4 क्रेडिट (100 अंक) का होगा जिसके लिए कक्षा में 60 घण्टे का अध्ययन-अध्यापन अनिवार्य होगा ।
3. आचार्य पाठ्यक्रम चार सत्रों के होंगे, जिसमें कुल 22 प्रश्न पत्र होंगे । प्रथम और चतुर्थ सत्र में 6-6 प्रश्न पत्र होंगे तथा द्वितीय एवं तृतीय सत्र में 5-5 प्रश्न पत्र होंगे, जिसकी मूल संरचना दो प्रमुख भागों में विभक्त होगी। मुख्य विषय एवं चयनित विषय पाठ्यक्रम का प्रमुख भाग मूल शास्त्रीय विषयों का होगा । छात्र वैकल्पिक शास्त्रीय विषयों में से अपनी इच्छा एवं रुचि के अनुसार अध्ययन हेतु आवश्यक किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं ।
4. आचार्य प्रथम वर्ष प्रथम सत्र में एवं द्वितीय वर्ष के द्वितीय सत्र में संगणक विज्ञान विषय का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। संगणक विषय में छात्र का उत्तीर्ण होना आवश्यक है, किन्तु इसमें प्राप्त किये गये अंक/क्रेडिट को आचार्य के श्रेणी निर्धारण में जोड़ा नहीं जायेगा ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के लिए निर्धारित निर्देशों के अनुसार आचार्य एवं विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रारूप को संज्ञान में लेते हुए सभी विभागों के अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार पाठ्यक्रम के प्रारूप का गहन अध्ययन किया गया तथा अध्ययन के उपरान्त पाठ्यक्रम में संशोधन उपरान्त मुद्रण करवाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये :-

1. आचार्य पाठ्यक्रम 88 क्रेडिट का होगा ।
2. 8 क्रेडिट संगणक पाठ्यक्रम दो पत्रों में आचार्य प्रथम सेमेस्टर 4 क्रेडिट एवं चतुर्थ सेमेस्टर 4 क्रेडिट में अनिवार्य होगा ।
3. हर छात्र को प्रत्येक सत्र में पाँच पत्र पढ़ने होगें जिसमें पाँचवे पत्र के लिए विकल्प उपलब्ध होगा, जो किसी भी विभाग से चयन कर सकते है । प्रथम और चतुर्थ सत्र में छठे पत्र के रूप में संगणक विज्ञान का अनिवार्य रूप में अध्ययन करेंगे ।
4. आचार्य प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के चारों सेमेस्टरों में पंचम पत्रों के दो-दो पाठ्यक्रम बनाया जाना आवश्यक है । अतः प्रत्येक विभाग द्वारा प्रथम पाठ्यक्रम शास्त्रीय विषय कोर का तथा द्वितीय पाठ्यक्रम वैकल्पिक विषय का बनाया जाए ।

PB

5. समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि समस्त विभागाध्यक्षों को सूचित किया जा सकता है कि वह समिति द्वारा तैयार प्रपत्र में अपने विभाग के विषय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम को वैकल्पिक आधारित प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाए, जिसमें इकाई विषय अंक क्रेडिट को पृथक्-पृथक् दर्शाया जाए । प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के सभी पत्रों को पृथक्-पृथक् दर्शाया जाय । पंचम पत्र के दो-दो पाठ्यक्रम बनाये जाएँ, प्रथम पाठ्यक्रम मूल शास्त्रीय विषय कोर का तथा द्वितीय पाठ्यक्रम वैकल्पिक विषय का बनाया जाए ।

7. समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए सभी विषयों के पत्र एक जैसे बनाए जाए ।

8. समिति द्वारा पाठ्यक्रम को मुद्रण करवाने हेतु पाठ्यक्रम को संशोधित रूप में तैयार करने हेतु निम्नलिखित कार्यालय सहायकों के टंकण कार्य हेतु ड्यूटी लगवाई जाती है । पाठ्यक्रम टंकण कार्य संबंधित संकाय प्रमुख की देख-रेख में संकाय प्रमुख कार्यालय में किया जाएगा। निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार पाठ्यक्रम के टंकण कार्य को सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष / विभागीय आचार्य की सहायता एवं मार्ग दर्शन में निर्धारित समय पर पूरा किया जाएगा ।

1. कुमारी प्रतिभा यादव, वरिष्ठ लिपिक
2. श्री महेन्द्रं, वरिष्ठ लिपिक्
3. श्री सुनील मिश्रा

दर्शन संकाय दिनांक १७/७/२०१७

न्याय वैशेषिक	-	प्रातः 10.00 से 11.00
जैन दर्शन	-	प्रातः 11.00 से 12.00
सांख्ययोग	-	अपराह्न 12.00 से 1.00
सर्वदर्शन	-	अपराह्न 2.00 से 3.00
मीमांसा	-	अपराह्न 3.00 से 4.00
वेदान्त	-	अपराह्न 4.00 से 5.00

वेद-वेदांग संकाय दिनांक १८/७/२०१७

वेद-पौरोहित्य	-	प्रातः 10.00 से 11.00
व्याकरण	-	प्रातः 11.00 से 12.00
धर्मशास्त्र	-	अपराह्न 12.00 से 1.00
ज्योतिष	-	अपराह्न 2.00 से 3.00
वास्तुशास्त्र	-	अपराह्न 3.00 से 4.00

साहित्य एवं संस्कृति संकाय दिनांक १९/७/२०१७

साहित्य	-	प्रातः 10.00 से 11.00
पुराणेतिहास	-	प्रातः 11.00 से 12.00
प्राकृत	-	अपराह्न 12.00 से 1.00

इस संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी संकाय प्रमुख / विभागाध्यक्ष विभाग से संबंधित विषयों के पाठ्यक्रमो की जॉच करें तथा यदि उसमें कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार कर स्पष्ट रूप में लिखित

विवरण के साथ उपरोक्त समय-सारणी के अनुसार सम्बन्धित संकाय प्रमुख के कार्यालय में उपस्थित होकर पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य को सम्पन्न करवाए ताकि यथाशीघ्र पाठ्यक्रम का मुद्रण करवाया जा सके तथा मुद्रित पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि संबंधित छात्रों को तथा संबंधित विभागों को उपलब्ध करवाया जा सके ।

४) विषयः दिनांक २७/७/२०१७ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के संबंध में विचार-विमर्श करने हेतु दिनांक २७.०७.२०१७ को अपराह्न ०३.०० बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में संकायप्रमुखों की एक बैठक आयोजित की गई, इस बैठक में कुलसचिव, विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन), सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) व डॉ. रामसलाही द्विवेदी को भी आमंत्रित किया गया ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 में समस्त शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :--

1. दिनांक 3/4/2017 को आयोजित विद्वत्परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए समय-सारणी तैयार करने हेतु समितियों का गठन किया गया था । संबंधित समितियों द्वारा समय-सारणी तैयार कर स्वीकृति हेतु कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जानी थी । कई विभागों द्वारा अभी तक अपने विभाग से संबंधित विषयों की समयसारिणी तैयार नहीं की है, अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संकायप्रमुख अपने-अपने संकाय के विभागाध्यक्ष के साथ बैठक कर सभी विषयों की समयसारिणी विभागाध्यक्षों से अगस्त माह के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करवायेंगे । यह भी निर्णय लिया गया कि तथा प्रत्येक अध्यापक अपने-अपने कक्ष के बाहर स्वयं द्वारा पढ़ाये जाने वाली कक्षाओं की समयसारिणी दरवाजे पर लगी स्टील की प्लेट पर सैलो टेप से लगायेंगे, जिससे समयसारिणी के अनुसार प्रत्येक कक्ष में पढ़ाये जा रहे विषय का अध्ययन-अध्यापन सुनिश्चित किया जा सके । समयसारिणी सभी अध्यापकों द्वारा अपने कक्ष के दरवाजे पर लगी स्टील प्लेट पर सैलो टेप से लगानां अनिवार्य है ।
2. संकायप्रमुख अपने संकाय के सभी अध्यापकों के साथ अध्ययन-अध्यापन एवं अन्य आवश्यक विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए हर माह में कम से कम दो बैठक अवश्य आयोजित करेंगे तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रति कुलसचिव कार्यालय तथा शैक्षणिक विभाग को प्रेषित की जाएगी ।
3. दर्शन संकायप्रमुख द्वारा अपनी संकाय से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों को सम्पन्न करने के संबंध में चर्चा की गई, जिसके उपरांत यह निर्णय लिया गया कि एक बैठक दर्शन संकाय के विभागाध्यक्ष के साथ कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी, जिसमें सभी समस्याओं पर विचार-विमर्श कर आपसी समन्वय स्थापित किया जायेगा ।
4. विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली अनुसार शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शास्त्री तृतीय वर्ष की पंचम एवं षष्ट सेमेस्टर में प्रविष्ट छात्रों को मूल्य शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन प्रो. इच्छाराम द्विवेदी, आचार्य पुराणेतिहास द्वारा किया जाएगा । कक्षा आयोजन करने का समय संबंधित समय-सारणी में उल्लेख किया जाए ।

RD

5. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गयाकि मानवाधिकार विषय के छात्रों को राजनीति शास्त्र या समाजशास्त्र की गैस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन कराया जायेगा ।

6. स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु योग विभाग की स्थापना शीघ्र ही विद्यापीठ में की जायेगी, इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।

7. दिनांक 19/5/2016 को आयोजित विद्वत्परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार छात्रों की उपस्थिति पंजिका शैक्षणिक विभाग में समय पर उपलब्ध नहीं हो रही है, इस संबंध में निर्णय लिया गया कि सभी अध्यापक संकायप्रमुख को निर्धारित अवधि में छात्रों की उपस्थिति पंजिका उपलब्ध करायेंगे, जिससे संकायप्रमुख कार्यालय द्वारा उसे शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करवाया जा सके । उपस्थिति व्यवस्था को और सुचारू करने हेतु यह सुझाव प्रस्तुत किया गया कि संकाय प्रमुख के कार्यालय में कार्यरत सहायकों द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार उपस्थिति को तैयार किया जाए :-

1. वेद-वेदांग संकाय , दर्शन संकाय, साहित्य एवं संस्कृति संकाय और आधुनिक विद्या संकाय के शास्त्री कक्षा के समस्त छात्रों की उपस्थिति एक सहायक द्वारा तैयार की जाएगी । शास्त्री कक्षाओं से संबंधित उपस्थिति प्रो. सुदीप कुमार जैन, संकाय प्रमुख (शैक्षणिक) के कार्यालय को निर्धारित समय अवधि में प्रेषित की जाएगी । शास्त्री कक्षा से संबंधित उपस्थिति विवरण को तैयार करने हेतु कु. प्रतिभा यादव, वरिष्ठ लिपिक, द्वारा प्रतिदिन अपराह्न 2.00 बजे से 5.30 बजे तक किया जाएगा ।

2. वेद-वेदांग संकाय तथा साहित्य एवं संस्कृति संकाय के समस्त आचार्य तथा विशिष्टाचार्य कक्षाओं के छात्रों की उपस्थिति श्री मोनिश बैक, सहायक द्वारा संकाय प्रमुख वेद-वेदांग संकाय के कार्यालय में तैयार की जाएगी।

3. दर्शन संकाय के समस्त आचार्य तथा विशिष्टाचार्य कक्षाओं के छात्रों की उपस्थिति श्री महेन्द्र सिंह, वरिष्ठ लिपिक द्वारा संकाय प्रमुख दर्शन संकाय के कार्यालय में तैयार की जाएगी ।

8. समिति की संज्ञान में लाया गया की शास्त्री कक्षा के कुछ छात्र संगणक तथा अंग्रेजी विषय से संबंधित परीक्षाओं में बार-बार अनुत्तीर्ण हो रहे है, समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया की एसे छात्रों को संबंधित विषयों में अतिरिक्त अध्ययन कक्षाओं का आयोजन किया जाए । अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन दिनांक 01.08.2017 से एक माह के लिए शास्त्री कक्षा के अंग्रेजी व कम्प्यूटर विषय के कमजोर छात्रों को विशेष अवबोधन कक्षाएं 04.30 से 05.30 बजे तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया । कम्प्यूटर विषय की कक्षाएं श्री आदेश कुमार, श्री आदित्य पंचोली, श्री बनवारीलाल वर्मा व श्री ज्ञानचन्द शर्मा द्वारा आयोजित की जायेगी तथा अंग्रेजी विषय की कक्षाएं डॉ. अभिषेक तिवारी व डॉ. पिंकी मलिक द्वारा ली जायेगी । इस संबंध में आवश्यक कार्यालय आदेश शैक्षणिक विभाग द्वारा जारी किया जाए ।

9. शैक्षणिक सत्र 2017-18 में विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में संकाय प्रमुखों द्वारा अवगत करवाया गया कि विशष्टाचार्य पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार स्थान रिक्त है तथा कुछ विषयों में छात्रों द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन भी नहीं किया गया । प्रत्येक संकाय में निर्धारित स्थानों तथा छात्र संख्या वृद्धि हेतु यह निर्णय लिया गया की जिन विषयों में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है उन विषयों के लिए निर्धारित स्थानों को उसी संकाय के अन्य विषयों में

निर्धारित स्थानों के अनुसार यदि स्थान रिक्त है तो प्रथम प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु अवसर प्रदान किया जा सकता है ।

५) विषय:- दिनांक १७/८/२०१७ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 3.4.2017 को आयोजित विद्वत्परिषद् द्वारा संकल्प संख्या 7.18(2) के अंतर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियम, 2016 के दिशा निर्देशों के अनुसार विषय वार संदर्भित पत्रिका एवं प्रतिष्ठित पत्रिका की सूची और प्रकाशकों की सूची के मूल्यांकन एवं अद्यतन करने के लिए दिनांक 17/8/2017 को प्रात: 11.00 बजे कक्ष संख्या 3(सम्मेलन कक्ष) में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपस्थित सदस्यों को सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विद्यापीठ के समस्त विभागों द्वारा विभिन्न विषयों में प्रकाशित होने वाली शोध पत्रिकाओं (Referred & Reputed) की सूची जो कि संबंधित विभागों द्वारा तैयार की गई थी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र संख्या दिनांक 23/3/2017 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत पत्रिकाओं की सूची में निम्नलिखित पत्रिकाओं को सम्मिलित किया गया:-

Sr.No	Journal No.	Title	Publisher	ISSN No.
1	40779	Bhaishajya Jyotisha Manjusha	Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Katwaria Sarai, New Delhi-110016	23480890
2	40927	Vastushastravimarshah	Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Katwaria Sarai, New Delhi-110016	09764321
3	40943	Sumangali	Centre for Women Studies, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Katwaria Sarai, New Delhi-110016	22296336
4	40960	Shodhaprabha	Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Katwaria Sarai, New Delhi-110016	09748946

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित की गई सूची समिति में उपस्थित सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित की गई। समिति के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित शोध पत्रिकाओं की सूची का गहन अध्ययन करने के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुति की गई:-

1. समस्त विभागों द्वारा अपने विषयों से संबंधित शोध-पत्रिकाओं की सूची की पुनः समीक्षा की जाए तथा संबंधित शोध-पत्रिकाओं के प्रति विभाग में तथा शोध एवं प्रकाशन विभाग में जो शोध-पत्रिका मौलिक रूप से उचित प्रतीत हो, उसी शोध-पत्रिका को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृत हेतु प्रेषित किया जाएगा।
2. शोध एवं प्रकाशन विभाग द्वारा संबंधित शोध पत्रिकाओं की सूची तैयार कर समिति को अवलोकनार्थ प्रेषित की जाए।
3. राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान द्वारा तैयार शोध पत्रिकाओं की सूची की प्रति यथा शीघ्र प्राप्त की जाए।
4. विद्यापीठ के सभी विभागों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं का रख-रखाव डॉ. शिव शंकर मिश्र, सह-आचार्य, शोध विभाग की देख-रेख में किया जाए तथा समिति के संयोजन का कार्यभार भी डॉ. मिश्र को सौपा जाय।
5. विभागों से आग्रह है कि प्रस्तावित शोध पत्रिका की एक मूल प्रति भी समिति को उपलब्ध करवायी जाय जिससे समुचित निर्णय करने में सुविधा होगी।
6. शोध एवं प्रकाशन विभाग द्वारा एक यू.जी.सी. द्वारा मान्य शोध पत्रिकाओं की सूची तैयार करने को कहा गया और उन पत्रिकाओं को पुस्तकालय में अनिवार्य रूप में मंगवाया जाए। जिससे शोध अध्येता लाभान्वित होंगे और आवश्यकतानुसार अपेक्षित आचार्य एवं विभाग की पत्रिका का अवलोकन कर सकेगा।
7. सभी विभागों के अध्यापको को सूचित किया जाए कि वे अपने विषय से संबंधित शोध पत्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत संबंधित (Referred & Reputed) शोध पत्रिका में ही प्रकाशित करवाये अन्य किसी भी पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र मान्य नहीं होगा।
8. समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संशोधन सूची तैयार करने के उपरान्त समिति की बैठक आयोजित की जाए तथा समिति की अनुशंसा के अनुसार उचित शोध पत्रिका की सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाएगी।

६) दिनांक २३/८/२०१७ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 23.08.2017 को मध्याह्न 12.00 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में सभी संकायप्रमुखों, उपकुलसचिव (लेखा), सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक), सहायक कुलसचिव (विकास) एवं विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन) के साथ वार्षिक शैक्षणिक समयसारिणी पर पुनर्विचार, नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश का पुनरावलोकन, अन्तःशास्त्रीय दृष्टिकोण की वृद्धि पर विचार, स्वच्छता पखवाड़ा के कार्यक्रम पर विचार, स्मारक व्याख्यानमाला एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाने हेतु एक बैठक आयोजित की गई ।

बैठक का शुभारम्भ प्रो. हरिहर त्रिवेदी के मंगलाचरण से हुआ । संदर्भित विषयों पर विचार-विमर्श के अनन्तर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :--

1. **वार्षिक शैक्षणिक समयसारिणी पर पुनर्विचार** : शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए वार्षिक शैक्षणिक समयसारिणी में उल्लिखित गतिविधियों का अवलोकन करने के उपरांत निम्नलिखित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया :-

    (1) शारदीय अवकाश दिनांक 21.09.2017 से 29.09.2017 तक घोषित किये जाएं ।

    (2) परीक्षा पूर्व तैयारी ।

    (3) प्रथम सत्र की परीक्षाएं दिनांक 17.11.2017 से 06.12.2017 तक आयोजित की जाएं ।

RB

(4) द्वितीय सत्र की कक्षाएं दिनांक 07.12.2017 से आरम्भ की जाएं ।

(5) प्रथम सत्र की परीक्षाओं के परिणाम दिनांक 22.12.2017 तक घोषित किये जाएं ।

(6) परीक्षा पूर्व तैयारी ।

(7) द्वितीय सत्र की परीक्षाएं दिनांक 23.04.2018 से आरम्भ की जाएं ।

(6) दिनांक 18.05.2018 से 17.06.2018 तक ग्रीष्मावकाश की घोषणा की जाएं।

(7) अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन पूर्व में निर्धारित तिथियों के अनुसार किया जाए। शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्णयानुसार तथा संशोधनोपरांत (संलग्नक-1) इसकी प्रतिलिपि सभी संकायप्रमुखों, विभागाध्यक्ष एवं अधिकारियों को वितरित की जाय और वेबसाईट पर संशोधन की सूचना प्रकाशित की जाए ।

2. **नियमित एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश का पुनरावलोकन** : बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों के संज्ञान में लाया गया कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शास्त्री प्रथम वर्ष, आचार्य प्रथम वर्ष एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों की संख्या निर्धारित स्थानों से कम है । सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि 15.09.2017 निर्धारित करने का निर्णय लिया गया । शास्त्री प्रथम वर्ष और आचार्य प्रथम वर्ष में निर्धारित स्थानों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु तृतीय चरण की प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक 10.09.2017 तथा प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तिथि 11.09.2017 निर्धारित की गई । इस सम्बन्ध में आवश्यक विज्ञापन शैक्षणिक विभाग द्वारा तुरन्त जारी करने के लिए कार्यवाही की जाए ।

3. अंशकालीन पाठ्यक्रम ज्योतिष प्राज्ञ के लिए निर्धारित 25 स्थानों को 50 तथा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम जैनदर्शन के लिए निर्धारित 25 स्थानों को 50 करने का निर्णय लिया गया । अन्य पाठ्यक्रमों में छात्रों की प्रवेश अर्हता पत्रों की संख्या के आधार पर स्थानों में वृद्धि हेतु कुलपति महोदय आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकते हैं ।

4. **अन्तःशास्त्रीय दृष्टिकोण की वृद्धि पर विचार** : शैक्षणिक सत्र 2017-18 में विशिष्टाचार्य पाठ्यक्रम की लिखित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विद्यावारिधि एवं विशिष्टाचार्य के छात्रों को विषय विशेषज्ञता रखने वाले अन्य विभागों के अध्यापकों के मार्गनिर्दशन में शोध कार्य करवाने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे अन्तःशास्त्रीय विभागीय विषय विशेषता का लाभ शोधच्छात्रों को मिल सके। डॉ. शिवशंकर मिश्र, ऐसोसिएट प्रोफेसर, शोध विभाग दर्शन विभाग के विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि के छात्रों का मार्गनिर्देशन करेंगे । इस सन्दर्भ में शैक्षणिक विभाग द्वारा अगले वर्ष की प्रकाशित होने वाली शैक्षणिक नियम परिचायिका में संशोधित निर्णय प्रकाशित किये जाए।

5. **स्वच्छता पखवाड़ा के कार्यक्रम पर विचार** : सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र दिनांक 18.08.2017 के अनुसार निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिनांक 01.09.2017 से 15.09.2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन विद्यापीठ में किया जायेगा । इस सम्बन्ध में प्रशासन विभाग सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सभी संकायप्रमुखों, विभागाध्यक्षों एवं अधिकारियों को वितरित करेगा तथा आवश्यक कार्यालय आदेश जारी कर स्वच्छता पखवाड़े के कार्यक्रम का सफल आयोजन करवायेगा । (संलग्नक-2) स्वच्छता पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु शिक्षाशास्त्र संकाय सहित सभी संकायों के सभी छात्र दिनांक 01.09.2017 से 15.09.2017 तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 11.00 से 11.30

RB

बजे तक स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे तथा इस समयावधि में शिक्षाशास्त्र विभाग की कक्षाएं स्थगित रहेंगी । इस सन्दर्भ में प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की सूचना निर्गत की जाये ।

6. **स्मारक व्याख्यानमाला** : दिनांक 04.09.2017 को पं. रमाकान्त उपाध्याय स्मारक व्याख्यान आयोजन करने का निर्णय लिया गया । इस व्याख्यानमाला का आयोजन साहित्य-संस्कृति संकायप्रमुख प्रो. भागीरथि नन्द के संयोजकत्व में किया जायेगा ।

7. **एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम** : एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

(1) शिक्षाशास्त्र के छात्रों को दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों व अक्षरधाम के भ्रमण हेतु ले जाने के लिए प्रो. रमेश प्रसाद पाठक द्वारा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) योग के छात्रों को कुरुक्षेत्र भ्रमण हेतु प्रो. महेश प्रसाद सिलोडी व प्रो. कमला भारद्वाज द्वारा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ।

8. उपरोक्त निर्णयों के अनुसार संबंधित कार्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु आवश्यक प्रतिवेदन बजट के विवरण के साथ सहायक कुलसचिव (विकास) को प्रस्तुत किये जाये, जिससे आवश्यक कार्यवाही समय पर सुनिश्चित की जा सके ।

9. सभी कार्यक्रमों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया । यह समिति कार्यक्रमों के अनुसार संबंधित संयोजकों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी :--

(1)	श्री बनवारी लाल वर्मा	अध्यक्ष
(2)	श्री ईश्वर सिंह बिष्ट	सदस्य
(3)	श्री महेन्द्र जंगापल्ली	सदस्य

७) दिनांक १४/९/२०१७ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 13 एवं 14/9/2017 से विद्यापीठ के सारस्वत साधना सदन के मुख्य द्वार पर छात्रों द्वारा शैक्षणिक समय सारिणी में संशोधन करने के सम्बन्ध में किये गये धरने को गम्भीरता से लेते हुए कुलपति महोदय के आदेशानुसार समस्त संकाय प्रमुखों एवं उच्चाधिकारियों की समिति गठित की गई जिसकी बैठक दिनांक 14.9.2017 को आहूत की गई। समिति के सदस्यों ने धरना स्थल पर छात्रों से बातचीत की तथा 4 छात्रों को समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई थी। सम्बन्धित मामलों पर विचार के उपरान्त समिति ने शास्त्री तृतीय वर्ष की समय सारिणी तथा प्रश्न पत्रों की संख्या में संशोधन करने की संस्तुति प्रदान की। समिति की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2015-16 से विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुरूप तैयार पाठ्यक्रमों के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रमों का अध्ययन-अध्यापन किया जा रहा है। समय सारिणी समिति द्वारा पूर्व में तैयार समय-सारिणी में आवश्यक संशोधन कर शास्त्री तृतीय वर्ष के पंचम एवं षष्ठ सत्र के छात्रों की कक्षाओं का आयोजन 10.00 बजे से लेकर 4.30 बजे तक किया जाएगा। शास्त्री तृतीय वर्ष **पंचम सत्र में मानवाधिकार पाठ्यक्रम तथा षष्ठ सेमेस्टर में मूल्य शिक्षा**

पाठ्यक्रम पढ़ाया जायेगा छात्रों को संशोधित समय सारिणी के अनुसार कक्षा में उपस्थित होकर अध्यापन करना होगा।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार सभी शैक्षणिक विभागों के वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम में नियमानुयार संशोधन हेतु शीघ्रातिशीघ्र प्रक्रिया आरम्भ की जाऐगी तथा संशोधित पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू किया जाएगा।

3. दिनांक 3/4/2017 को आयोजित विद्वतपरिषद की 7वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अनुशासन नियमों के अनुसार सभी छात्रों को अनुशासन का पालन करते हुए कक्षाओं में नियमित उपस्थित होना अनिवार्य है। कोई भी छात्र यदि परिसर की सम्पति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई हेतु छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

4. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार विद्यापीठ परिसर में असंवैधानिक नारेबाजी, धरना प्रदर्शन, बैनर लगाना एवं पोस्टर चिपकाना आदि तथा पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न करना पूर्ण रूप से वर्जित है। दोषी पाए जाने पर संबंधित छात्र / छात्रों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जा सकती है।

5. विद्यापीठ में प्रविष्ट सभी छात्रों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय / यू.जी.सी. के आदेशानुसार निर्धारित सभी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

6. छात्रों को अपनी किसी भी प्रकार की समस्या हेतु अपना लिखित प्रतिवेदन प्रो. बिहारी लाल शर्मा, नोडल अधिकारी छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक छात्र को विद्यापीठ परिसर में अपना पहचान-पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा। बिना पहचान पत्र के विद्यापीठ परिसर में प्रवेश वर्जित होगा।

८) दिनांक ७/९/२०१७ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 07.09.2017 को अपराह्न 02.30 बजे वाचस्पति सभागार में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में शिक्षाशास्त्र संकाय को छोड़कर अन्य संकायप्रमुखों, विभागाध्यक्षों, विषय प्रमुखों के साथ शास्त्री तृतीय वर्ष के स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक विषय (DSE 1 and 2) पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाने हेतु एक बैठक आयोजित की गई ।

बैठक का शुभारम्भ डॉ. वृन्दावन दाश व डॉ. शीतला प्रसाद शुक्ल के मंगलाचरण से हुआ ।

सर्वप्रथम से छात्र कल्याण संकायप्रमुख प्रो. कमला भारद्वाज ने बताया कि शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों द्वारा कुलपति महोदय के समक्ष एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें नौ विषय पढाये जाने के सम्बन्ध में लिखा है जबकि पिछले वर्षों में सात विषय पढ़ाये जा रहे थे तथा अपराह्न 04.30 से 05.30 बजे की अवधि में लगने वाले कालांश को कम किया जाये । इस प्रतिवेदन पर गहन चर्चा की गई तथा प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) के अनुसार दो अतिरिक्त स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक विषय पढ़ने हैं, जिस कारण शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के नौ विषय

होते हैं, अतिरिक्त विषयों की पढ़ाई के कारण कालांश अवधि भी कम नहीं की जा सकती है । स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक विषय के चयन में विद्यार्थियों की भ्रान्ति के निवारण हेतु गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श किये जाने के उपरांत सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ की प्रकाशित शैक्षणिक नियम परिचायिका 2017-2018 के पृष्ठ संख्या-65 से 67 तक में संशोधन (पताका-क) के उपरांत शैक्षणिक विभाग द्वारा सभी संकायप्रमुखों, विभागाध्यक्षों, विषय प्रमुखों व शास्त्री के छात्रों को कार्यालय आदेश जारी किया जाए और उन्हें उक्त विषयों के पंजीकरण की निर्धारित तिथि की सूचना की जाए ।
2. शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्र स्वशास्त्र सम्बद्ध वैकल्पिक विषयों का चयन उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुसार अपने-अपने विषय प्रमुखों से सम्पर्क कर शैक्षणिक विभाग की सहायता से करेंगे ।
3. सभी अध्यापक विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक नियम परिचायिका, पाठ्यक्रम परिचायिका व छात्रावास परिचायिका को अवश्य पढ़े और छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे छात्रों को सभी नियमों के बारे में उनकी जिज्ञासाओं के अनुसार सही मार्गनिर्देशन किया जा सके ।

संकल्प संख्या ८.६ शैक्षणिक सत्र २०१६-२०१७ में सम्पन्न परीक्षाओं के परिणाम एवं परीक्षा मण्डल के प्रतिवेदनों की पुष्टि एवं उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति।

शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के द्वितीय सैमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु गठित परीक्षा मण्डल की बैठक आहूत की गई थी जिसमें द्वितीय सैमेस्टर की परीक्षाओं के परीणाम की स्वीकृति के साथ-साथ उन्हें घोषित करने का निर्णय लिया गया था तद्नुसार परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके है। परीक्षा मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों और परीक्षा परिणाम को विद्वत्परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय लिया गया कि उत्तीर्ण छात्रों को आगामी दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाए।

संकल्प संख्या ८.७ दिनांक ३१/८/२०१७ को आयोजित शोधोपाधि समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 3/4/2017 को आयोजित विद्वत्परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में शोधोपाधि समिति का गठन किया जा चुका है। शोधोपाधि की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 31/8/2017 को परीक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई। अधोलिखित विवरण के अनुसार अधोलिखित छात्रों को परीक्षकों की अनुशंसा तथा विद्वत्परिषद् की संकल्प संख्या 7.11 के निर्णयानुसार सक्षम अधिकारी / शोधोपाधि समिति के अनुमोदनोपरान्त विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि देने की घोषणा की जाती है। यह भी निर्णय लिया गया कि योग्य शोध छात्रों को सत्रहवें दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्रदान की जाएगी। विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि यदि किसी माह में शोध छात्रों की मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो उसी माह के अंतिम कार्य दिवस पर शोध उपाधि समिति की बैठक का आयोजन किया जाए ताकि योग्य शोध छात्रों को अस्थाई प्रमाण पत्र जारी करने में सुविधा हो।

RB

क्रम सं.	नाम	शोधप्रबन्ध का विषय	विषय	मार्गनिर्देशक	वाक् परीक्षा की तिथि
1	रतन सिंह	किशोरावस्थाया: छात्राणां संवेगात्मकाध्यात्मिकबुद्धयोश्च कक्ष्यासमायोजनसन्दर्भे तुलनात्मकाध्ययनम्	शिक्षाशास्त्र	डॉ. विमलेश शर्मा	28.02.2017
2	श्वेता अग्रवाल	श्रीनागेशभट्टकृतसाङ्ख्यसूत्रवृत्ते: समीक्षणम्	सर्वदर्शन	डॉ. प्रभाकर प्रसाद	18.03.2017
3	ममता कुमारी	वाल्मीकीयरामायणान्तर्गतबालकाण्डस्य तद्धितप्रत्ययानां पाणिनिव्याकरणदृष्ट्या विशलेषणात्मकमध्ययनम्	व्याकरण	डॉ. सुजाता त्रिपाठी	22.03.2017
4	चन्द्रकान्त	ग्रहोत्पत्तिगतिस्थित्यादीना पर्य्यालोचनम्	ज्योतिष	प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	24.03.2017
5	नीतू रानी	श्रीविष्णुदत्तत्रिपाठीविरचितानसूयाचरितविद्योतमानाटकयो: नाट्यशास्त्रीयमध्ययनम्	साहित्य	डॉ. सुमन कुमार झा	30.03.2017
6	पारूल	वैशेषिकसूत्रोपस्कारनिरूपितविशेषगुणसमीक्षणम्	न्यायवैशेषिक	डॉ. महानन्द झा	30.05.2017
7	शिव प्रसाद रैणा	बृहत्संहितान्तर्गतवास्तुशास्त्रस्य समीक्षात्मकमध्ययनम्	वास्तुशास्त्र	डॉ. देवी प्रसाद त्रिपाठी	29.06.2017
8	प्रभाकर पुरोहित	ज्योतिषशास्त्रदृष्ट्या सन्ततिसुखासुखपरिशीलनम्	ज्योतिष	डॉ. देवी प्रसाद त्रिपाठी	09.08.2017

शोधोपाधि समिति की अनुशंसा के अनुसार योग्य शोध छात्रों को परीक्षा विभाग द्वारा अस्थाई प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है तथा उपाधि प्रदान करने हेतु संबंधित छात्रों को आगामी दीक्षान्त समारोह के अवसर पर निमंत्रित किया जाए।

संकल्प संख्या ८.८ संकाय प्रमुख, शिक्षाशास्त्र संकाय द्वारा प्रेषित विद्यावारिधि पूर्व (पीएच.डी.) शिक्षा पाठ्यक्रम सत्र २०१७-१८ हेतु विद्वत्परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की पुष्टि

संकाय प्रमुख, शिक्षाशास्त्र संकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार विद्यावारिधि पूर्व (पीएच.डी.) शिक्षा पाठ्यक्रम (6 माह) हेतु विहित कार्य का निर्धारण शोधार्थियों में अपेक्षित शोध कौशलों का विकास और शोध का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से किया गया है जिससे वे प्रस्तावित क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ शोध का नियोजन; सम्पादन एवं आकलन सम्यक् रूप से कर सके।

विद्वत्परिषद् द्वारा शिक्षाशास्त्र संकाय के शोध छात्रों के लिए तैयार नवीन पाठ्यक्रम को लागू करने की पुष्टि की गई। शोध छात्रों की सूचना हेतु संबंधित पाठ्यक्रम विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित किया जाए तथा एक प्रति पुस्तकालय तथा परीक्षा विभाग को भी प्रेषित की जाए।

संकल्प संख्या ८.९ शोध विभाग द्वारा प्रकाशित विद्यापीठवार्ता द्वितीय एवं तृतीय अंक (जनवरी से जून) की पुष्टि।

विद्यापीठ के शोध विभाग द्वारा विद्यापीठ की समस्त गतिविधियों के परिचय हेतु शैक्षणिक सत्र 2016-17 में विद्यापीठवार्ता त्रैमासिक वार्ता पत्र के द्वितीय एवं तृतीय अंक (जनवरी-जून, 2017) का मुद्रण कार्य सम्पन्न किया जा चुका है जिसकी प्रतिलिपि सभी विभागों को प्रेषित की जा चुकी है। विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी संकाय / विभाग / अनुभाग अपने-अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित शैक्षणिक क्रियाकलापों का विवरण यथावत तरीके से तैयार करें तथा विद्यापीठवार्ता में प्रकाशित करवाने हेतु शोध विभाग को प्रेषित करें।

संकल्प संख्या ८.१० केन्द्रीय शोध समीक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

विद्वत्परिषद् की दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को आयोजित तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार समस्त संकायों की विभागीय शोध समीक्षा समिति का गठन किया जा चुका है। वेद-वेदांग संकाय, साहित्य एवं संस्कृति सेकाय और दर्शन संकाय द्वारा अपने-अपने संकाय में पंजीकृत शोध छात्रों की शोध प्रगति की समीक्षा एवं शोध की गुणवत्ता में वृद्धि इत्यादि की समीक्षा हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार समिति की बैठक का आयोजन किया गया:-

साहित्य एवं संस्कृति संकाय	दिनांक: 31 जुलाई, 2017
दर्शन संकाय	दिनांक: 25-26 जुलाई, 2017
वेद-वेदांग संकाय	दिनांक: 17-18 जुलाई, 2017
शिक्षाशास्त्र	दिनांक: 13-14 जुलाई, 2017

शोध समीक्षा समिति की बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सम्पंन्न की जा रही है। विद्वत्परिषद् द्वारा शोध समीक्षा समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की जाती है। विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि सभी संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग में पंजीकृत शोध छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2016 के संबंध में शोध छात्रों को समय-समय पर जानकारी प्रदान करें ताकि शोध छात्र अपना शोध कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्ण करें। विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी संकाय अपने-अपने संकाय के शोध समीक्षा समिति की आगामी बैठक जनवरी 2018 में अनिवार्य रूप से सम्पन्न करवाए जिसकी सूचना सभी शोध छात्रों को कम से कम एक सप्ताह पूर्व जारी की जाए।

संकल्प संख्या ८.११ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, मानित विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम १९५६ धारा १२-बी की सूची में अंकित करने के संबंध में ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 19-1/2016 (सी.पी.पी-1/डी.यू.) दिनांक 12/6/2017 के अनुसार आयोग की स्वीकृति प्रेषित की गई है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) को आयोग की 12-बी सूची में सम्मलित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, मानित विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 12-बी की सूची में सम्मलित करने पर विद्यापीठ के सभी शैक्षणिक गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को बधाई दी गई।

संकल्प संख्या ८.१२ शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ के लिए गठित कुलानुशासक मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

सत्र 2017-18 में सुव्यवस्थित अनुशासन, परिचयपत्र की अनिवार्यता, वाहनों के लिए स्टीकर व टोकन इत्यादि विषयों पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु कुलानुशासक मण्डल, वरिष्ठ आचार्यों एवं संकायप्रमुखों की एक बैठक दिनांक 03.10.2017 को अपराह्ण 12.30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में आहूत की गई।

बैठक में उपस्थित महानुभावों ने सुरक्षा व वाहनों के आवागमन के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये :--

1. **दिनांक ३०.०९.२०१७ के मध्याह्न में एवं ०१.१०.२०१७ की रात्रि में हुई घटना के संदर्भ में ।**

   (1) इस तरह की घटना परिसर में दोबारा न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जायें । अनुशासनहीनता की घटना में जब्त की गई बाईकों को तभी दिया जाए, जब वैधानिक स्टॉम्प-पेपर पर उपरोक्त छात्रों द्वारा तथा वाहन-मालिकों (जिनके नाम वे वाहन रजिस्टर्ड हैं) लिखकर दिया जाए कि यह बाईक दोबारा विद्यापीठ परिसर में नहीं आयेगी तथा परिसर में दिनांक 30.09.2017 व 01.10.2017 को की गई हुडदंग बाजी दोबारा नहीं होगी ।. पेपर के साथ बाईक की आर.सी. की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए।

   (2) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाए तथा पुलिस कार्यवाही के द्वारा इस प्रकार के छात्रों के विरुद्ध सख्त, कार्यवाही की जाए।

   (3) अनुशासनहीनता करनेवाले व्यक्ति यदि विद्यापीठ के छात्र नहीं है तो सुरक्षा-कर्मचारी उनके विरुद्ध तत्काल अपेक्षित कार्यवाही कर सकते हैं । यदि छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता की जाती है, तो उसकी प्रथम-सूचना विद्यापीठ-प्रशासन या कुलानुशासक को दी जाए, जिससे उनके विरुद्ध प्राशासनिक उचित-कार्यवाही की जा सके ।

2. **विद्यापीठ परिसर में अवैधरूप से प्रवेश होने और सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूछने पर अपना परिचय पत्र न दिखानेवाले व्यक्तियों के संबंध में ।**

(1) विद्यापीठ परिसर में प्रवेश-द्वारों पर सभी व्यक्तियों (अध्यापकों, कर्मचारियों, छात्रों व आगंतुकों) को सुरक्षा-कर्मियों द्वारा मांगें जाने पर अपना परिचयपत्र दिखाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें विद्यापीठ-परिसर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

(2) विद्यापीठ-परिसर में किसी भी प्रकार का सामान बेचने वालों व कबाड़ियों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध होगा ।

(3) जिन व्यक्तियों के पास किसी प्रकार का परिचयपत्र नहीं होगा, उन्हें सुरक्षा कर्मियों के पास उपलब्ध-रजिस्टर में अपना परिचय व मोबाईल नम्बर दर्ज करना होगा ।

3. **छात्रों द्वारा प्रवेश के समय परिचयपत्र प्रस्तुत न करने के संदर्भ में ।**

(1) विद्यापीठ के सभी छात्रों को विद्यापीठ परिसर में प्रवेश परिचयपत्र दिखाने के उपरांत ही दिया जायेगा । जिन छात्रों के परिचयपत्र नहीं बने हैं, उन्हें शैक्षणिक-विभाग द्वारा सुरक्षा-कर्मियों को उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार छात्र की पहचान सुनिश्चित होने के उपरांत सुरक्षा-कर्मी के पास उपलब्ध रजिस्टर में परिचय दर्ज होने के उपरांत प्रवेश करने दिया जायेगा ।

(2) सभी विभागाध्यक्षों को शैक्षणिक-विभाग पत्र प्रेषित कर यह सुनिश्चित करें कि उनके छात्र के परिचयपत्र बन गये हैं, यदि किसी छात्र का परिचयपत्र नहीं बना है तो विभागाध्यक्ष ऐसे छात्रों की सूची शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करवायें, जिससे एक सप्ताह (दिनांक 10.10.2017 तक) के अन्दर परिचयपत्र छात्र को दिया जा सके । परिचयपत्र न बनवाने वाले छात्रों के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही भी की जा सकती है ।

(3) अंशकालीन-पाठ्यक्रमों के सभी समन्वयकों को शैक्षणिक विभाग पत्र लिखें कि अंशकालीन-छात्रों को परिचयपत्र दिये जाने के लिए अंशकालीन-पाठ्यक्रम-समन्वयक शैक्षणिक विभाग को प्रविष्ट-छात्रें की सूची उपलब्ध करवाकर उनके परिचयपत्र बनवाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें तथा सभी अंशकालीन-पाठ्यक्रमों के छात्रों को परिचयपत्र उपलब्ध करवायें। अंशकालीन छात्रों को भी परिचयपत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा।

नियमित एवं अंशकालीन-छात्रों के परिचयपत्र अलग-अलग रंग के बनवाये जाएं । परिचयपत्रों पर वैध तिथि अवश्य अंकित की जाए ।

4. **विद्यापीठ परिसर में रहने एवं आने-जाने वाले अध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के वाहनों पर स्टीकर लगवाये जाने के संदर्भ में विचार-विमर्श ।**

विद्यापीठ में आवागमन करनेवाले सभी वाहनों (द्विपहिया व चारपहिया) का प्रवेश स्टीकर से अनिवार्य किया जाए । इस संबंध में प्रशासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया जाय । विद्यापीठ में नियमितरूप से आवागमन करनेवाले सभी वाहन चालकों को स्टीकर देने प्रक्रिया प्रशासन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाए ।

दिनांक 16.10.2017 के उपरांत किसी भी अध्यापक, कर्मचारी व छात्र के वाहन को स्टीकर होने पर ही विद्यापीठ में प्रवेश दिया जायेगा । दुपहिया व चारपहिया के लिए अलग-अलग रंग के स्टीकर बनवाये जाए ।

5. **प्रतिदिन परिसर में आने-जाने वाले अतिथियों के वाहनों के प्रवेश, पार्किंग पास के संदर्भ में विचार-विमर्श ।**

विद्यापीठ में वाहन से आने वाले आगंतुकों को सुरक्षा-कर्मियों द्वारा प्रवेश-द्वार-संख्या-एक से टोकन जारी किया जायेगा । टोकन-प्राप्त वाहन गेट-संख्या-एक व दो से वापस जा सकते हैं । वापस जाने

RB Rug

पर वह टोकन गेट संख्या-एक या दो पर जमा करवाना अनिवार्य होगा । बिना टोकन दिये वाहन को विद्यापीठ से बाहर नहीं जाने दिया जायेगा ।

विद्यापीठ के चारदीवारी के आसपास बने सभी ढाबों व दुकानों को हटाने के लिए प्रशासन विभाग द्वारा नगर निगम व पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र भेजें जाएं, जिससे इन ढाबों व दुकानों को विद्यापीठ की चारदीवारी के पास से हटाया जा सके ।

6. **विद्यापीठ परिसर के आवासीय परिसर में रहनेवाले अध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के वाहनों की पार्किंग के सदंर्भ में विचार-विमर्श।**

विद्यापीठ-परिसर के आवासीय-परिसर मे रहनेवाले सभी महानुभावों (अध्यापक, कर्मचारी व छात्र) को अपने दुपहिया व चारपहिया वाहनों के लिए स्टीकर लेने अनिवार्य होगा । वाहनों का विवरण निर्धारित-प्रपत्र पर कुलानुशासक के पास जमा करवाना अनिवार्य होगा ।

विद्यापीठ-परिसर में रहनेवाले महानुभावों से मिलने के आनेवाले आगंतुकों के वाहन यदि एक सप्ताह के अधिक विद्यापीठ में रुकते हैं, तो इसकी अनुमति कुलानुशासक से संबंधित अध्यापक/कर्मचारी को लेनी होगी । किसी भी छात्र के आगंतुकों के वाहन विद्यापीठ में खड़े नहीं करने दिये जायेंगे ।

इंजीनियरिंग विभाग द्वारा (खेलना मना है, फूल न तोड़े, बिना परिचयपत्र प्रवेश निषिद्ध, धूम्रपान दण्डनीय अपराध है, स्वच्छता ही सेवा, पार्किंग स्थल, पार्किंग निषेध, संकेतक पट्टिकाएं) इत्यादि की सूचना-पट्टिकायें तैयार करवाकर अपेक्षित स्थानों पर शीघ्र लगवाई जाएं। इंजीनियरिंग-विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय-ध्वज विद्यापीठ परिसर में हर समय फहराने की व्यवस्था की जाए तथा सहायक-कुलसचिव-स्तर तक के समस्त अधिकारियों की टेबल में राष्ट्रीय-ध्वज लगाया जायें ।

7. **विद्यापीठ के बाहर रहने वाले अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वाहनों की अस्थाई रूप से विद्यापीठ में पार्किंग के सदंर्भ में विचार-विमर्श ।**

विद्यापीठ के बाहर रहने वाले अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वाहनों की अस्थाई रूप से विद्यापीठ में एक सप्ताह से अधिक की पार्किंग की अनुमति कुलानुशासक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा । छात्रावास से बाहर रहनेवाले छात्रों के किसी भी वाहन को विद्यापीठ-परिसर में पार्किंग की स्थाई या अस्थाई अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

गेट नम्बर-दो से वाहनों का प्रवेश प्रात: 05.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक ही होगा।

8. **प्रतिदिन विद्यापीठ प्रांगण में छात्रों द्वारा खेले जाने वाले खेलों के संबंध में विचार-विमर्श।**

प्रतिदिन विद्यापीठ प्रांगण में विद्यापीठीय-छात्र निर्धारित-स्थानों पर खेलेंगे । अन्य शैक्षणिक संस्था के साथ मैच आदि आयोजित होने पर बाह्य-छात्रों के साथ खेलने के लिए कुलानुशासक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

RD

9. **विद्यापीठ के विश्रांतिनिलय में आने-जाने वाले अतिथियों के परिचय-पत्र व प्रवेश पास पर विचार-विमर्श ।**

विद्यापीठ के विश्रांतिनिलय में आने-जाने वालों अतिथियों के वाहनों को टोकन से प्रवेश दिया जायेगा। टोकन बनवाने की प्रक्रिया प्रशासन-विभाग द्वारा की जायेगी ।

10. **बिना अनुमति के परिसर में अवैधरूप से खड़ी होने वाली गाड़ियों के ... विचार-विमर्श।**

विद्यापीठ परिसर में अवैधरूप से खड़ी गाड़ियों को चिन्हित-कर इंजीनियरिंग-विभाग द्वारा उन गाड़ियों पर एक नोटिस लगाया जाएगा, जिसमें स्पष्ट-रूप से लिखा जाए कि यह वाहन विद्यापीठ में अवैधरूप से खड़ा है, यदि एक सप्ताह के अन्दर इसे विद्यापीठ परिसर से नहीं हटाया गया, तो इसकी रिपोर्ट थाने में की जायेगी तथा वाहन पुलिस-विभाग द्वारा जब्त करवा दिया जायेगा।

छात्रावास के छात्रों के लिए प्रतिदिन 'योग' में भाग लेना अनिवार्य होगा । यह नि:शुल्क होगा।

विद्यापीठ परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कुलानुशासक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों की विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ८.१३ योजना एवं देखरेख बोर्ड की संस्तुतियों पर विचार।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 एवं 2016 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार गठित योजना एवं देखरेख बोर्ड (प्लानिंग एवं मानीटरिंग बोर्ड) की बैठक 16 अक्टूबर, 2017 में लिए गए निर्णयों की पुष्टि की गयी। विद्वत्परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि योजना एवं देखरेख बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए प्रेषित की जाए।

प्रो.वी.एन. झा के प्रस्ताव-वर्तमान सन्दर्भ में शास्त्रों की प्रासंगिता को प्रभावित करने हेतु शास्त्र सन्दर्भ ग्रन्थों के निर्माण हेतु परियोजना, के निर्माण की स्वीकृति की गयी और साथ ही इस परियोजना के लिए 'भारत अध्ययन विभाग' नामक एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।

संकल्प संख्या ८.१४ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ तथा भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृत पत्रकारिता के विशिष्ट (एडवास्ड) त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम को संचालित करने के संबंध में निर्धारित सहमति ज्ञापन विद्वत परिषद् द्वारा पुष्टि की गयी।

सहमति ज्ञापन के प्रस्तावनानुसार यह सहमति ज्ञापन इस सिद्धान्त पर आधारित है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृत पत्रकारिता के विशिष्ट (एडवांस्ड) त्रैमासिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली में संचालित किया जायेगा। संस्कृत पत्रकारिता के विशिष्ट प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम के संचालन में दोनों संस्थाओं की शैक्षणिक नीतियों का अनुपालन करते

हुए पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले छात्र को प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा। सहमति ज्ञापन पत्र विद्वत परिषद् द्वारा पुष्टि की गई। विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 16.10.2017 को आयोजित योजना एवं देखरेख बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में संस्कृत पत्रकारिता के विशिष्ट (एडवांस्ड) त्रैमासिक प्रमाणपत्र से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु समिति का गठन किया जाए तथा बोर्ड द्वारा मनोनीत सदस्य प्रो. चाँद किरण सलुजा को भी बैठक में आमंत्रित किया जाए। बैठक का आयोजन पाठ्यक्रम संयोजक प्रो. कमला भारद्वाज द्वारा किया जाएगा। प्रो. कमला भारद्वाज पाठ्यक्रम संयोजक द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम के लिए प्रसारण हेतु विषय अनुसार समय-सारिणी तैयार की जाए तथा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही प्रोग्राम प्रसारित किए जाए। समय-सारिणी तैयार करने हेतु समस्त संकाय प्रमुखों की समिति का गठन किया जाता है।

संकल्प संख्या ८.१५ शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त विद्वत्परिषद् की पुष्टि हेतु।

शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 10/10/2017 को आयोजित की गई। समिति द्वारा छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु निर्धारित नियमों का अवलोकन करने के पश्चात् शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु अनुशंसा की गई। विद्वत्परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने के लिये कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। समिति के अनुशंसा के अनुसार विद्वत्परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने की पुष्टि की गई। विद्वत्परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया की नव गठित छात्र कल्याण परिषद् के सदस्यों की बैठक बुलाकर उन्हें अनुशासन से संबंधित नियमों की जानकारी प्रदान की जाए।

संकल्प संख्या ८.१६ सचिव-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित पत्र सं. २४-१/२०१६(सीपीपी-॥) दिनांक ४/१०/२०१७ के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों में सभी छात्रों के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों का पाठ्यक्रम तैयार किया जाने पर विचार।

सचिव-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित पत्र सं. 24-1/2016(सीपीपी-॥) दिनांक 4/10/2017 के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों में सभी छात्रों के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों के सम्बन्ध में प्रो0 रमेश प्रसाद पाठक, संकाय प्रमुख, शिक्षाशास्त्र संकाय को संयोजक बनाने का निर्णय लिया। वे संयोजक के रूप में शास्त्री एवं आचार्य पाठ्यक्रमों में प्रति सत्र एक-एक व्याख्यान आयोजित करायोगें तथा शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य में पूर्व निर्धारित स्काउट एण्ड गाईडस के अन्तर्गत कार्यक्रम को अपने देख-रेख में सम्पादित करायेगें।

RKP

RD

संकल्प संख्या ८.१७ मूक्स पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु समय-समय पर आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों की विद्वत्परिषद् द्वारा पुष्टि।

विषयः- दिनांक २७.७.२०१७ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

विद्वत्परिषद् के निर्णयानुसार मूक्स के संचालन एवं सम्बन्धित नीतियों के क्रियान्वयन को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। तथा कुलपति को आवश्यक निर्णय के लिए अधिकृत किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2017 को निर्गत स्वयं सम्बन्धी नियमावली को यथावत लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषयः- दिनांक १४/८/२०१७ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 14.8.2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में मूक्स के अन्तर्गत संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों की परीक्षा, क्रेडिट हस्तांतरण, मूल्यांकन, मूक्स पाठ्यक्रम व नियम-विनियम पुस्तिका निर्माण आदि पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाने हेतु एक बैठक आयोजित की गई।

सर्वप्रथम डॉ. सुन्दरनारायण झा के मंगलाचरण से बैठक का शुभारम्भ हुआ।
डॉ. सतीश जी ने मूक्स के सन्दर्भ में बताया कि ऑन-लाईन प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत वैदिकभाषा वाङ्मयं च (डॉ. सुन्दरनारायण झा) के लिए 164, अलङ्कारशास्त्रम् एवं सौन्दर्यशास्त्रम् (प्रो. भागीरथि नन्द) के लिए 93 एवं भारतीय दर्शनम्, एकः परिचयः (डॉ. जवाहर लाल) के लिए 257 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हो चुका है। पाठ्यक्रम की समयावधि पन्द्रह सप्ताह की है, समयावधि समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थियों की परीक्षा संस्कृत भाषा में ली जायेगी। अतः परीक्षा आवेदन प्रपत्र, परीक्षा तिथि; परीक्षा शुल्क, परीक्षा संचालन (प्रश्नपत्र निर्माण, मूल्यांकन, अंकपत्र) इत्यादि पर विचार-विमर्श के उपरांत बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. मूक्स के लिए परीक्षा प्रणाली विद्यापीठ के नियमित छात्रों की परीक्षा प्रणाली के समान होगी। इसका संचालन परीक्षा विभाग द्वारा नियमित छात्रों की परीक्षा के साथ किया जायेगा। अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑन-लाईन भरेंगे, इसके लिए परीक्षा विभाग द्वारा कम्प्यूटर विभाग के सहयोग से ऑन-लाईन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए कार्यवाही हेतु विस्तृत-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र निर्माण, मूल्यांकन, परीक्षा सूचना, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था इत्यादि परीक्षा विभाग द्वारा विद्यापीठ की सामान्य परीक्षाओं की प्रक्रिया जैसे ही की जायेगी।
2. मूक्स के प्रति पत्र परीक्षा के लिए 100/- रुपये ऑनलाईन शुल्क लिया जायेगा। यह कार्य कम्प्यूटर विभाग के सहयोग से किया जायेगा।
3. प्रश्नपत्र निर्माण व मूल्यांकन संबंधित कार्य पाठ्यक्रम संयोजक द्वारा किया जायेगा। एतदर्थ विद्यापीठ द्वारा कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
4. मूक्स पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा 29,30 नवम्बर, 2017 व 01 दिसम्बर, 2017 को आयोजित की जाए ।

5. मूक्स पाठ्यक्रम व नियम-विनियम पुस्तिका निर्माण व प्रकाशन के लिए निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया गया, यह समिति 31 अगस्त, 2017 तक परीक्षा व शैक्षणिक विभाग के सहयोग से पुस्तिका निर्माण व प्रकाशन का कार्य सम्पन्न करेगी:-

(1) प्रो. भागीरथि नन्द	अध्यक्ष
(2) डॉ. सुन्दरनारायण झा	सदस्य
(3) डॉ. जवाहर लाल	सदस्य
(4) डॉ. गोपीरमण मिश्र	सदस्य
(5) श्री सुच्चा सिंह	संयोजक

6. डॉ. सतीश के. एस. द्वारा मूक्स से संबंधित सभी गतिविधियों, बैठकों के निर्णय विद्वत्परिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किये जाए।

समस्त कार्यवृत्त की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय:- दिनांक १४/८/२०१७ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 14.9.2017 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में मूक्स के अन्तर्गत नये पाठ्यक्रमों को संचालित करने के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई।

सर्वप्रथम डॉ. सतीशा के.एस. के मंगलाचरण से बैठक का शुभारम्भ हुआ।

डॉ. सतीशा जी ने मूक्स के सन्दर्भ में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित पत्र एवं सूची के अनुसार मूक्स के अन्तर्गत दो नवीन पाठ्यक्रम संस्कृतमें निर्माण किये जाने हैं। जिनके शीर्षक निम्निलिखित हैं:-

1. परिचयात्मक संस्कृत भाषा एवं व्याकरण
2. वेद एवं श्रीमद्भगवद् गीता

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. सर्वसम्मति से उपरोक्त पाठ्यक्रमों के समन्वयक क्रमशः (1) प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा एवं (2) डॉ. सतीश के.एस. को बनाया गया।
2. इन पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संलग्न पाठ विवरण को स्वीकृत किया गया।
3. नवीन पाठ्यक्रम प्रस्ताव के लिए समन्वयकों के पाँच मिनट के वीडियो तैयार कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वीकृत हेतु भेजे जाने हैं। अतः गुणवत्ता व समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए पांच मिनट के वीडियो निर्माण हेतु आर.जे.मीडिया हाउस से कार्य करवाये जाने का निर्णय लिया।
4. वर्तमान में चल रहे तीन पाठ्यक्रमों की परीक्षा दिनांक 8.1.2018, 9.1.2018 व 10.1.2018 को आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।
5. वर्तमान पाठ्यक्रम में पंजीकृत विदेशी छात्रों की परीक्षा हेतु वहाँ के स्थानीय किसी विशेषज्ञ को निरीक्षक तय किया जाय तथा उन्हें देय मानदेय सम्बद्ध छात्र से लिया जाय।

कार्यवृत्त की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय:- दिनांक ४/१०/२०१७ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 4.10.2017 को मूक्स पाठ्यक्रम में पंजीकृत छात्रों की परीक्षा सम्पन्न करवाने के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित की गई।

डॉ. सतीश के.एस., संयोजक मूक्स पाठ्यक्रम द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के संज्ञान में लाया गया कि मूक्स पाठ्यक्रम में लगभग 300 छात्रों द्वारा पंजीकरण करवाया जा चुका है जिसमें से कुछ छात्र विद्यापीठ के नियमित छात्र तथा कुछ बाहरी छात्र हैं। सत्र 2017-18 के प्रथम सत्र की परीक्षा को सम्पन्न करवाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के उपरान्त सर्वसहमति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. मूक्स के प्रति पत्र परीक्षा के लिए 100/- रुपये शुल्क लिया जाएगा। छात्र शुल्क का भुगतान लेखा विभाग में नकद द्वारा तथा NEFT के माध्यम से कर सकते हैं।
2. परीक्षा हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10.11.2017 से 10.12.2017 तक भरे जायेगें। इस सत्र (2017-18) के प्रथम सैमेस्टर की परीक्षा समय सारिणी के अनुसार online संभव नहीं हो पायेगी। मूक्स पाठ्यक्रम के छात्रों को परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्त करने, जमा करने तथा admit card प्राप्त करने हेतु विद्यापीठ की वेबसाइट पर MOOC से सम्बन्धित जानकारी के लिए एक window तैयार की जायेगी। विद्यापीठ की नई वेबसाइट तैयार होने पर मूक्स के लिए online system अगले सत्र से लागू किया जायेगा।
3. परीक्षा का आयोजन परीक्षा विभाग की देख रेख में दिनांक 8.1.2018 से 10.1.2018 तक अपराह्न 2.00 से 5.00 बजे तक विद्यापीठ परिसर में किया जायेगा।
4. प्रविष्ट छात्रों की सूची पाठ्यक्रम संयोजकों द्वारा परीक्षा विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु परीक्षा से पूर्व उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. समिति ने यह सुझाव दिया कि छात्रों से सम्बन्धित सभी गतिविधियों को कम्प्यूटराइज करने के लिए शैक्षणिक तथा परीक्षा विभाग से सम्बन्धित software विद्यापीठ में लगवाया जाये जिससे छात्रों के प्रवेश से लेकर विद्यापीठ छोड़ने तक की सभी गतिविधियां software के माध्यम से की जा सके।

उपरोक्त संस्तुतियों को संज्ञान में लेते हुए विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मूक्स पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त दिशानिर्देशों / नियम / उपनियमों का पुनः अवलोकन किया जाए तथा यदि अपेक्षित हो तो संबंधित नियमों में वांछित संशोधन किया जाए। विद्वत्परिषद् द्वारा मूक्स पाठ्यक्रम के संचालन हेतु समय-समय पर आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों की पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या ८.१८ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र संख्या ९-२/२०१७ (सीपीपी-II) दिनांक ३१/१/२०१७ के अनुसार पाठ्यक्रम संशोधन के संबंध में।

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ शिक्षा और सामाजिक विकास पर सचिवों के समूह की एक हाल ही में आयोजित बैठक में, यह अनुशंसा की गई थी कि विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए और हर तीन साल में कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। इस समीक्षा और शैक्षणिक पाठ्यक्रम के संशोधन को ध्यान में रखना चाहिए कि वर्तमान और संभावित मांग और कौशल की

आपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों को रोजगार योग्य बनाया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में सभी विभाग अपने-अपने विभाग के अध्ययन मण्डलों की बैठक आयोजित कर नवीन पाठ्यक्रम तैयार करें जिन्हें मुद्रण कराने से पूर्व, पाठ्यक्रम के समीक्षा हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा संपादित किया जाएगा। नवीन पाठ्यक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विद्यापीठ द्वारा सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम का संशोधन किया जाना अनिवार्य है। शैक्षणिक नियम परिचायिका के नियमानुसार विद्यापीठ में प्रविष्ट सभी छात्रों को प्रवेश के समय संबंधित पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाता है। इस संबंध में विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी विभाग अपने-अपने विभाग से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों में संशोधन हेतु अध्ययन मण्डल की बैठक आहूत कर समस्त कार्यवाही जनवरी 2018 के द्वितीय सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर कार्यवाही की रिपोर्ट स्वीकृति हेतु कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे ताकि नवीन पाठ्यक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू किया जा सके। पाठ्यक्रम का मॉडल (प्रारूप) तैयार करने हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाता है:

1. शिक्षाशास्त्र संकाय

प्रो. नागेन्द्र झा

प्रो. रजनी जोशी

प्रो. रचना वर्मा मोहन

डॉ. विमलेश शर्मा

डॉ. अमिता पाण्डेय भारद्वाज

डॉ. सुरेन्द्र महतो

2. वेद-वेदांग, साहित्य एवं संस्कृति, दर्शन एवं आधुनिक विद्या संकाय

प्रो. भागीरथि नन्द

प्रो. महेश प्रसाद सिलोड़ी

प्रो. हरेराम त्रिपाठी

प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी

प्रो. बिहारी लाल शर्मा

श्री सुच्चा सिंह, सहायक कुलसचिव, शैक्षणिक

उक्त समितियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकल्पाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुसार निर्धारित मापदण्डों को संज्ञान में लेते हुए शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावारिधि तथा

अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम तैयार कर 15.11.2017 तक स्वीकृति हेतु कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेंगे। मॉडल पाठ्यक्रम के अनुपालन में सभी विभाग अपने विभागों के अध्ययन मण्डलों के बैठके आहूत कर नवीन पाठ्यक्रम तैयार करेंगे।

संकल्प संख्या ८.१९ विद्यावारिधि सत्रीय परीक्षा में अनुपस्थित तथा अनुउत्तीर्ण शोध छात्रों को परीक्षा देने की छूट प्रदान करने की स्वीकृति हेतु।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में पंजीकृत शोध छात्रों के लिए पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पीएच.डी. की तैयार के लिए पूर्वापेक्षा माना जाएगा। सत्रीय पाठ्यक्रम को 55% अंकों सहित उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 में पंजीकृत कुछ शोध छात्रों द्वारा 75% उपस्थिति पूर्ण न करने के कारण और अपरिहार्य करण से परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण तथा सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण आवेदन पत्र प्रस्तुत किए है कि उन्हे शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए आयोजित सत्रीय पाठ्यक्रम की कक्षाओं में अध्ययन करने तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार शोध छात्रों के लिए सत्रीय पाठ्यक्रम की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संबंधित छात्रों को सत्र 2017-18 में आयोजित होने वाली सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विशेष अवसर की स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय समान्य नियम स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्वत्परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में पंजीकृत शोध छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है। सत्रीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उन छात्रों को ही दी जाएगी जो शेष उपस्थिति को पूरा कर 75% उपस्थिति को पूर्ण करेंगे। अनुपालन ना करने की स्थिति में नियमानुसार पंजीकरण निरस्त हो जायेगा। यह प्रावधान मात्र एक वर्ष के लिए है।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि पहले ही एम.फिल. उपाधि धारक शोध छात्र जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हो गया है अथवा जिन्होंने पहले ही एम.फिल. पाठ्यक्रम में सत्रीय पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है उनको भी विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश उपरान्त सत्रीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर यथानियम उपस्थित होकर सत्रीय पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

संकल्प संख्या ८.२० परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार विचारणीय बिन्दु।

1. विद्वत्परिषद् को सूचित किया गया कि परीक्षा विभाग द्वारा शिक्षाचार्य / शिक्षाशास्त्री चतुर्थ सत्र, शास्त्री तृतीय सत्र एवं आचार्य द्वितीय सत्र की अंकतालिका जारी की जा चुकी है।

2. विद्वत्परिषद् द्वारा परीक्षा मण्डल के मनोनीय सदस्यों की पुष्टि की गई।

3. नियमित पाठ्यक्रम एवं अंशकालीन पाठ्यक्रमों की उपाधि पत्र का प्रारूप एवं आकार विचारार्थ।

विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपाधि एवं प्रमाणपत्र निम्नलिखित विवरण के अनुसार तैयार किया जाए:

उपाधि --लीगल साईज

डिप्लोमा / प्रमाणपत्र -- ए-4 साईज

4. विभिन्न कक्षाओं में होने वाली परीक्षाओं में यदि किसी पत्र के दो भाग हो और अंक विभाजन किया गया हो तो उनका अलग-अलग उत्तीर्णतांक अनिवार्य नहीं होगा। दोनों पत्रों के अंकों का योग करके उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

विद्वत्परिषद् द्वारा विचार-विर्मश के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि संबंधित पाठ्यक्रम तैयार करते समय इस बिन्दु का ध्यान रखा जाए कि यदि किसी पत्र के दो भाग हो और अंक विभाजन किया गया हो तो उनका अलग-अलग उत्तीर्ण अंक अनिवार्य होगा। विद्वत्परिषद् द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि अंशकालिक पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्यक्रम की प्रति परीक्षा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाई जाए ताकि प्रश्न-पत्र तैयार करने हेतु असुविधा उत्पन्न ना हो।

अंशकालिक पाठ्यक्रम के लिए नियम निर्धारित करने हेतु सभी पाठ्यक्रम संयोजकों की समिति का गठन भी किया जाता है। यह समिति पाठ्यक्रम / परीक्षा की अहर्ता / प्रवेश अहर्ता / प्रवेश शुल्क आदि से संबंधित नियम तैयार कर अपनी रिपोर्ट एक माह के अंदर स्वीकृति हेतु कुलपति महोदय को प्रेषित करेंगी।

संकल्प संख्या ८.२१ केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए निर्मित प्रस्ताव की पुष्टि।

दिनांक 3.4.2017 को आयोजित विद्वत्परिषद् की बैठक की संकल्प संख्या 7.18(8) में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय शास्त्रीय विधाओं में निहित अप्रतिम ज्ञान और प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियों को आधुनिक शिक्षा की प्रस्थापनाओं एवं सिद्धान्तों के साथ तारतम्य स्थापित करने और प्राचीन भारतीय ज्ञान की गरिमा को पुन:स्थापित करने के लिये भारत में शास्त्रीय विधा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय विद्यापीठ निरन्तर प्रयासरत है। विद्यापीठ की स्थापना के उद्देश्यों को व्यावहारिक धरातल पर लाने के लिये यह आवश्यक है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित इस विद्यापीठ को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने की दिशा में सक्रिय प्रयास करते हुये भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। इसै दृष्टि में रखते हुये यह निर्णय लिया गया कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाय जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने के लिये एक प्रतिवेदन तैयार करे। कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्लाय हेतु प्रस्ताव तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठके आयोजित कर प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है।

विद्वत्परिषद् द्वारा विद्यापीठ को मानित विश्वविद्यालय से केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारार्थ प्रस्तुत अन्य विषय

PB

संकल्प संख्या ८.२२(१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एफ.१-२/२००९(ई.सी./पी.सी.) (खण्ड-॥) दिनांक १६ मई २०१७ के अनुसार छात्रों का आधार नम्बर को सार्वजनिक न करने के संबंध में निर्णय हेतु।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त दिशानिर्देशानुसार छात्रों के आधार नम्बर को सार्वजनिक ना करने के संबंध में विद्वत्परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रवेश के समय सभी छात्रों से उनका आधार नम्बर अनिवार्य रूप से लिया जाए परंतु अंकतालिका में अंकित नहीं किया जाएगा। पत्र संख्या दिनांक 16 मई 2017 के अनुपालन में किसी भी छात्र का आधार नम्बर किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

संकल्प संख्या ८.२२(२) संकाय प्रमुख, आधुनिक विद्या संकाय, साहित्य एवं संस्कृति संकाय एवं वेद-वेदांग द्वारा प्रस्तुत संशोधित पाठ्यक्रम (DSE) की स्वीकृति।

विद्वत्परिषद् द्वारा निम्नलिखित विषयों के संशोधित पाठ्यक्रम (DSE) पाठ्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधित पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु परीक्षा विभाग को भी उपलब्ध करवाई जाए। शेष पाठ्यक्रम को स्वीकृति देने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

संकल्प संख्या ८.२२(३) LPA No-2209-2016(O&M), Ms- Alka Rani and others V/s State of Haryana & Others के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विद्वत्परिषद् की सूचनार्थ।

विद्वत्परिषद् के संज्ञान में लाया गया कि LPA No-2209-2016(O&M), Ms- Alka Rani and others V/s State of Haryana & Others के संबंध में उपाधियों की समकक्षता संबंधि माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

"The substantive prayer made in the petition stands answered by the State by accepting (Group B) M.A. Sanskrit / Acharya, B.Ed. / Shiksha Shastri / Language Teachers Course (LTC) / Oriental Training (O.T.), (Group C) Shastri and Shiksha Shastri / Language Teacher Course (LTC) Oriental Tranining (O.T.) as equivalent to the qualification prescribed under the Rules to enable the appellants to the benefits of employment. In view of the above, the petition stands disposed of."

छात्रहित में पारित निर्णय के स्वागत में विद्वत्परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई।

संकल्प संख्यां ८.३२(४) मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यापीठ की शैक्षणिक तथा प्रशासनिक क्रिया कलापों के सन्दर्भ में तैयार सहमति ज्ञापन प्रत्र की पुष्टि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यापीठ की शैक्षणिक तथा प्रशासनिक क्रिया कलापों के सन्दर्भ में तैयार सहमति ज्ञापन प्रत्र की विद्वत परिषद द्वारा पुष्टि की गई

महोदय प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय, कुलपति जी को राजस्थान संस्कृत अकादमी के अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्राप्त करने हेतु विद्वत्परिषद् ने वधाई दी।

अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यों को धन्यवाद के उपरान्त शान्ति पाठ से विद्वत्परिषद् की आठवीं बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

रेनू बतरा
(डॉ. रेनू बतरा)

कुलसचिव एवं सचिव

रमेश कुमार पाण्डेय
(प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय)

कुलपति एवं अध्यक्ष